न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. बजरंग पुत्र दलाराम, उम्र 25 वर्ष 2. हनुमानराम पुत्र दलाराम, उम्र 20 वर्ष 3. जूंजाराम पुत्र दलाराम, उम्र 18 वर्ष 4. चन्दरदेवी पत्नी जसोताराम, उम्र 45 वर्ष 5. सुआ पत्नी जसोताराम, उम्र 75 वर्ष, जाति सुथार, निवासी हाडाला सुथारों का तला (मीठड़ा), तह. व जिला बाड़मेर	1. रिड़मलराम पुत्र हरदासराम के का. मु.– 1/1.नाथूराम पुत्र रिड़मलराम, उम्र 44 वर्ष 1/2.मोहन पुत्र रिड़मलराम, उम्र 40 वर्ष 1/3.रमेश पुत्र रिड़मलराम, उम्र 35 वर्ष 1/4.श्रीमती पेमी पत्नी रिड़मलराम, उम्र 44 वर्ष 2. लूम्भाराम पुत्र हरदासराम, उम्र 80 वर्ष 3. किशनलाल पुत्र दीपाराम, उम्र 42 वर्ष 4. राजूराम पुत्र दीपाराम, उम्र 32 वर्ष 5. शंकरलाल पुत्र हरदासराम, उम्र 55 वर्ष, जाति सुथार, निवासी हाडाला सुथारों का तला (मीठड़ा), तह. व जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा बैंक, शाखा महाबार 7. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 47 / 2021 बउनवान रिड़मलराम बनाम बजरंग वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति–

1. वकील श्री बांकाराम चौधसी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री शैतानसिंह राठोड़ रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से।
3. वकील श्री भोमाराम सियाग रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।
4. शेष रेस्पोंडेन्टस् बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–10.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी / रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा हाडाला सुथारों का तला के खेत खसरा संख्या 1459 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 1462 रकबा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

08 बिस्वा, खसरा संख्या 1483 रकबा 15.15 बीघा, खसरा संख्या 1484 रकबा 15.17 बीघा, खसरा संख्या 1485 रकबा 03.15 बीघा, खसरा संख्या 2160/1465 रकबा 66.04 बीघा व खसरा संख्या 2433/1414 रकबा 176.11 कुल रकबा 280 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा हाडाला सुथारों का तला के खेत खसरा संख्या 1459 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 1462 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 1483 रकबा 15.15 बीघा, खसरा संख्या 1484 रकबा 15.17 बीघा, खसरा संख्या 1485 रकबा 03.15 बीघा, खसरा संख्या 2160/1465 रकबा 66.04 बीघा व खसरा संख्या 2433/1414 रकबा 176.11 कुल रकबा 280 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर बाद तामील के अपीलांट दिनांक 06.04.2022 को जरिये वकालतनामा उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से आदेशिका संधारित करते हुए जवाब प्रस्तुत किया का अंकन किया। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु दिनांक 29.04.2022 नियत की गई। जबकि उक्त पेशी पर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा केवल वकालतनामा ही पेश किया गया था। उक्त के बाद लगातार आदेशिकाओं में जवाब हेतु अवसर का अंकन किया गया है। उसके बाद दिनांक 11.11.2022 को अपीलांट/प्रतिवादीगण का जवाब बंद करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जवाब बंद करके उसी दिन अपीलाधीन आदेश

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से जवाब बंद करते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसासर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित क़िया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/ रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा हाडाला सुथारों का तला के खेत खसरा संख्या 1459 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 1462 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 1483 रकबा 15.15 बीघा, खसरा संख्या 1484 रकबा 15.17 बीघा, खसरा संख्या 1485 रकबा 03.15 बीघा, खसरा संख्या 2160/1465 रकबा 66.04 बीघा व खसरा संख्या 2433/1414 रकबा 176.11 कुल रकबा 280 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट के जवाब बंद करने की उक्त आपत्ति का कोई सार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स (वादीगण) अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करनें के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट्स/प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 06.04.2022 को वकालतनामा पेश किया गया। अपीलांट स्वयं अपनी अपील में लिखता है कि उसने दिनांक 06.04.2022 को वकालतनामा ही प्रस्तुत किया था, जवाब नहीं। वस्तुतः उसके द्वारा स्थगन के प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया था जिस अनुसार दावे में भी सहवन से जवाब प्रस्तुत करने का अंकन कर दिया। वकालतनामा पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाब बंद कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा जवाब बंद करने संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 47/2021 बउनवान रिड़मलराम बनाम बजरंग वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

10/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर (नवनीत कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर